**Public Notice** 

Vide direction received from National Saving Institute, Ministry of Finance G.S.R.238(E) dated

31.03.2023, Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby

makes the following rules to amend the Government Savings Promotion General Rules, 2018.

ADHAR:-

All existing Small Saving Scheme account, which account is more than 6 months old should be linked

with Aadhaar immediately.

The event of failure of the depositor to submit the Aadhaar number his/her account shall cease to be

operational till the time he/she submits the Aadhaar Number to the Branch.

PAN:-

Customer who has not submitted the PAN at the time of opening an account shall submit the same to

the Branch within a period of two months from the date of happening of any of the following events,

whichever is the earliest, namely:-

i) The balance at any point of time in the account exceeds fifty thousand rupees; or

ii) The aggregate of all credits in the account in any financial year exceeds one lakh rupees; or

iii) The aggregate of all withdrawals and transfers in a month from the account exceeds ten thousand

rupees,/ in the event of the failure of the depositor to submit the PAN, his account shall cease to be

operational till the time he submit the PAN to the Branch.

(In case of Minor, Guardian details/ minor details to be updated)

\*For more details please refer: The Gazette Of India G.S.R.238(E), dated: 31.03.2023

Mumbai 21.02.2025

General Manager. Customer Care Dept.

## सार्वजनिक नोटिस

राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय जी.एस.आर.238(ई) दिनांक 31.03.2023, सरकारी बचत प्रोत्साहन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) से प्राप्त निर्देश के तहत, केंद्र सरकार सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है।

## आधार:-

सभी मौजूदा लघु बचत योजना खाते, जो 6 महीने से अधिक समय से है, को तुरंत आधार से जोड़ा जाना चाहिए। जमाकर्ता द्वारा आधार नंबर जमा करने में विफल रहने की स्थिति में उसका खाता तब तक चालू नहीं रहेगा जब तक वह शाखा में आधार नंबर जमा नहीं कर देता।

## पैन:-

जिस ग्राहक ने खाता खोलते समय पैन नंबर जमा नहीं किया है, उसे निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, शाखा में पैन नंबर जमा करना होगा, अर्थातु: -

- i) खाते में किसी भी समय शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक हो; या
- ii) किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल योग एक लाख रुपये से अधिक है; या
- iii) खाते से एक महीने में सभी निकासी और हस्तांतरण का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है/ और जमाकर्ता द्वारा पैन जमा करने में विफलता की स्थिति में, उसका खाता शाखा में पैन जमा करने तक चालू नहीं रहेगा।

(नाबालिग के मामले में, अभिभावक विवरण/ नाबालिग विवरण अपडेट किया जाना है) \*अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: भारत का राजपत्र जी.एस.आर.238(ई), दिनांक: 31.03.2023

 मुंबई
 महाप्रबंधक

 21.02.2025
 ग्राहक सेवा विभाग